

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
239/2024

दायर दिनांक
24.05.2024

निर्णय दिनांक
10.06.2024

उनवान

1. जड़ाव पुत्री श्री प्रभुदास पत्नि श्री गोपी, जाति बैरागी आयु चयस्क, निवासी-पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीया

बनाम

1. उदा पुत्र श्री जयराम जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी-पोण्डरारा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. रामु पत्नि स्व. श्री रामचन्द्र जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी-पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. धन्ना पुत्र श्री लादु जाति खाती, आयु वयस्क, निवासी-पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. अमरा पुत्र श्री हजारी जाति बलाई, आयु वयस्क, निवासी-पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. सोहन पुत्र श्री मूला जाति बलाई, आयु वयस्क, निवासी-पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. लादु पुत्र श्री वीरम जाति भील, आयु वयस्क, निवासी-पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. भैरु पुत्र स्व० श्री भूरिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी-पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. लादु पुत्र श्री प्यारा जाति भील, आयु वयस्क, निवासी-पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. श्रवणदास पुत्र श्री गोरुदास जाति बैरागी, आयु वयस्क, निवासी-पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

-विपक्षीगण


उपस्थित:- अधिवक्ता प्रार्थी मुरली वैष्णव

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पोण्डरास प०ह० रूपाहेली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा की


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा


जमाबन्दी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 46 की अभिलिखित आराजियात 565, 566, 567, 571, 572, 602, 603 कुल कित्ता 07 कुल रकबा 1.1632 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के जावेदगरी होने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पोण्डरास प0ह0 रूपाहेली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 46 की अभिलिखित आराजियात 565, 566, 567, 571, 572, 602, 603 कुल कित्ता 07 कुल रकबा 1.1632 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आनंद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
महाराष्ट्र